

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2014/माघ 1, 1935 No. 30] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2014/MAGHA 1, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 38 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) सं. सा.का.नि. 131 (ङ), दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए 01.04.2014 से 31.03.2016 तक की अविध के लिए पारादीप पत्तन के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में दर्शाए गए हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है:

तालिका

क्रम सं.	हत	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2.	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि	1
3.	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि	1
4.	उड़ीसा राज्य सरकार के प्रतिनिधि	1
5.	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
6.	रक्षा सेवा के प्रतिनिधि	1
7.	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि	1
8.	तट रक्षक के प्रतिनिधि	1
9.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	4
10.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	4
	कुल	17

(1)

[फा. सं. एलबी–11013/1/2013–एल]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

271 GI/2014

MINISTRY OF SHIPPING (Ports Wing) NOTIFICATION

New Delhi The 20th January, 2014

G.S.R. 38 (E).—In Pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of The Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 131(E), dated 12th March, 2012, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said table on the board of Trustees of the Port of Paaradip for the period from 01.4.2014 to 31.03.2016:

TABLE

Sl. No.	Interests	No. of Persons
		to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Rep. of Mercantile Marine Department	1
3.	Rep. of Department of Customs	1
4.	Rep. of State Government of Orissa	1
5.	Rep. of Ministry of Shipping	1
6.	Rep. of Defence Services	1
7.	Rep. of Indian Railways	1
8.	Rep. of Coast Guard	1
9.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963	4
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963	4
	TOTAL	17

[F. No. LB-11013/1/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 39 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) सं. सा.का.नि. 130 (ङ), दिनांक 12 मार्च 2012 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए 01.04.2014 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए कोलकाता पत्तन के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में दर्शाए गए हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है :

तालिका

क्रम सं.	थ्हत	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2.	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि	1
3.	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि	1

	कुल	19
10.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	5
9.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	4
8.	तट रक्षक के प्रतिनिधि	1
7.	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि	2
6.	रक्षा सेवा के प्रतिनिधि	1
5.	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
4.	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रतिनिधि	1

[फा. सं. एलबी—11013/2/2013—एल] एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi the 20th January, 2014

G.S.R. 39 (E).—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 130(E), dated 12th March, 2012, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kolkata for the period from 01.4.2014 to 31.03.2016:

TABLE

Sl. No.	Interests	No. of Persons
		to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Rep. of Mercantile Marine Deptt.	1
3.	Rep. of Department of Customs	1
4.	Rep. of State Govt. of West Bengal	1
5.	Rep. of Ministry of Shipping	1
6.	Rep. of Defence Services	1
7.	Rep. of Indian Railways	2
8.	Rep. of Coast Guard	1
9.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963	4
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963	5
	TOTAL	19

[F. No. LB-11013/2/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 40 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) सं. सा.का.नि. 250 (ङ), दिनांक 26 मार्च, 2012 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए 01.04.2014 से 31.03.2016 तक की अविध के लिए चेन्नई पत्तन के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में दर्शाए गए हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है:

तालिका

क्रम सं.	थ्हत	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2.	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि	1
3.	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि	1
4.	तमिलनाडू राज्य सरकार के प्रतिनिधि	1
5.	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
6.	रक्षा सेवा के प्रतिनिधि	1
7.	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि	2
8.	तट रक्षक के प्रतिनिधि	1
9.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	5
10.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	5
	कुल	19

[फा. सं. एलबी—11013/3/2013—एल] एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi the 20th January, 2014

G.S.R. 40 (**E**).—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 250(E), dated 26th March, 2012, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Chennai for the period from 01.4.2014 to 31.03.2016:

TABLE

Sl. No.	Interests	No. of Persons
		to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Rep. of Mercantile Marine Deptt.	1
3.	Rep. of Department of Customs	1

4.	Rep. of State Govt. of Tamil Nadu	1
5.	Rep. of Ministry of Shipping	1
6.	Rep. of Defence Services	1
7.	Rep. of Indian Railways	2
8.	Rep. of Coast Guard	1
9.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963	5
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963	5
	TOTAL	19

[F. No. LB-11013/3/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 41 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) सं. सा.का.नि. 132 (ङ), दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए 01.04.2014 से 31.03.2016 तक की अविध के लिए विशाखापट्टणम पत्तन के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में दर्शाए गए हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है:

तालिका

क्रम सं.	थ्हत	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2.	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि	1
3.	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि	1
4.	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रतिनिधि	1
5.	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
6.	रक्षा सेवा के प्रतिनिधि	1
7.	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि	1
8.	तट रक्षक के प्रतिनिधि	1
9.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	5
10.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	3
	कुल	17

[फा. सं. एलबी–11013/5/2013–एल]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi the 20th January, 2014

G.S.R. 41 (E).—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 132(E), dated 12th March, 2012, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam for the period from 01.4.2014 to 31.03.2016:

TABLE

Sl. No.	Interests	No. of Persons
		to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Mercantile Marine Department	1
3.	Department of Customs	1
4.	State Government of Andhra Pradesh	1
5.	Ministry of Shipping	1
6.	Defence Services	1
7.	Coast Guard	1
8.	Indian Railways	1
9.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963	5
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963	3
	TOTAL	17

[F. No. LB-11013/5/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

सा.का.नि 42 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) सं. सा.का.नि. 251 (ङ), दिनांक 26 मार्च 2012 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए 01.04.2014 से 31.03.2016 तक की अविध के लिए कांडला पत्तन के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में दर्शाए गए हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है:

तालिका

क्रम सं.	थ्हत -	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2.	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि	1
3.	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि	1
4.	गुजरात राज्य सरकार के प्रतिनिधि	1
5.	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
6.	रक्षा सेवा के प्रतिनिधि	1
7.	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि	1
8.	तट रक्षक के प्रतिनिधि	1
9.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	5
10.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	3
	कुल	17

[फा. सं. एलबी-11013/8/2013-एल]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi the 20th January, 2014

G.S.R. 42 (E).— In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 251(E), dated 26th March, 2012, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla for the period from 01.4.2014 to 31.03.2016:

TABLE

Sl. No.	Interests	No. of Persons
		to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Rep. of Mercantile Marine Deptt.	1
3.	Rep. of Department of Customs	1
4.	Rep. of State Govt. of Gujarat	1
5.	Rep. of Ministry of Shipping	1
6.	Rep. of Defence Services	1
7.	Rep. of Indian Railways	1
8.	Rep. of Coast Guard	1
9.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963	5
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963	3
	TOTAL	17

[F. No. LB-11013/8/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.